फारम सं0-563

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
2	3

अभिलेख उपस्थापित।

श्री नागेन्द्र मुण्डा पिता स्व0 भोला मुण्डा, निवास स्थान कोर्रा, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-जबरा, थाना नं0-154, खाता संख्या-65, प्लॉट संख्या-565 एवं 564, रकवा 0.0250 एकड़ एवं 0.0050 एकड़ कुल रकवा 0.03 एकड़ (03 डिसमिल) (तीन डिसमिल) भूमि तारामनी मिंज पिता बालेश्वर मिंज, निवास स्थान ग्राम-कोर्रा, मिचयारी लेन, पोस्ट-कोर्रा, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित केता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र की छायाप्रति, खतियान की छायाप्रति एवं अन्य कागजात संलग्न कर आवेदन समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-34/2021 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 2067/रा0 दिनांक 27.10.2021 द्वारा अंचल अधिकारी, सदर को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के पत्रांक 1626 दिनांक 29.09.2022 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन, ट्रेस नक्शा एवं चेक स्लीप उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि -

क्रेता एवं विक्रेता अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत है एवं एक थाना के निवासी हैं। प्रश्नगत् भूमि खतियानी भूमि है। आवेदक की माँ लिलवा मुण्डाईन को पार्टीशन सूट नं0 99/06 द्वारा हासिल है। प्रश्नगत् भूमि रैयती भूमि है। खतियानी रैयत सोहन मुण्डा वगै0 हैं। खतियान के अनुसार धारित कुल रकवा 2.49 एकड़ भूमि है। पंजी-।। में रकवा 1.9595 एकड़ भूमि की जमाबंदी चालू पंजी-।। में शेष है। कुल रकवा 2.49 एकड़ दर्ज था। पंजी-।। के पृष्ठ संख्या-119/III पर लिलवा मुण्डाईन के नाम से जमाबंदी दर्ज है। लगान रसीद वर्ष 2020-21 तक निर्गत् है। आवेदक जमाबंदी रैयत के पुत्र हैं। भूमि संयुक्त खाते की है। आवेदक घरेलु बँटवारा के अनुसार अपने हिस्से की भूमि बिक्री कर रहे हैं। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् संयुक्त खातें में रकवा 1.9295 एकड़ भूमि बचता है। ावेदक को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन भूमि/सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है।

अनुसूची–14 फारम सं0–563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश कार्रवाई टिप्पणी
1	2	
	साथ ही BLR Act Section 4h से मुक्त है। प्रश्नगत् भूमि आवेदक के दखल कब्जा में है। प्रश्नगत् भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा–46 के तहत् प्रश्नगत् भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में श्री नागेन्द्र मुण्डा पिता स्व0 भोला मुण्डा, निवास स्थान कोर्रा, थाना–सदर, जिला–हजारीबाग को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा–46 के अन्तर्गत अंचल–सदर हजारीबाग, मौजा–जबरा, थाना नं0–154, खाता संख्या–65, प्लॉट संख्या–565 एवं 564, रकवा 0.0250 एकड़ एवं 0.0050 एकड़ कुल रकवा 0.03 एकड़ (03 डिसमिल) (तीन डिसमिल) भूमि तारामनी मिंज पिता बालेश्वर मिंज, निवास स्थान ग्राम–कोर्रा, मिचयारी लेन, पोस्ट–कोर्रा, थाना–सदर, जिला–हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग। अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।	

Digitally signed by RAKESH RAUSHAN
Date: 2022.10.26 12:47:39 +05:30
Location: 192.168.100.2